ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2018 का कार्यवृत्त

समयः 02:00 बजे — स्थानः माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

उपस्थिति

1.	प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो० जय गोपाल	–	सदस्य
3.	डा० भोला चौरसिया	–	सदस्य
4.	डा० अजीत कुमार चौधरी	–	सदस्य
5.	श्रीमती इस्मत जहाँ	–	सदस्य
6.	डा० बैद्यनाथ चौधरी	–	सदस्य
7.	डा० विनोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
8.	श्री लक्ष्मेश्वर राय	–	सदस्य
9.	डा० महेन्द्र प्रसाद सिंह	–	सदस्य
10.	डा० अमर कुमार	–	सदस्य
11.	डा० हिमांशु शेखर	–	सदस्य
12.	श्री संजय सरावगी	–	सदस्य
13.	डा० फैयाज अहमद	–	सदस्य
14.	डा० डी० एन० पासवान	–	सदस्य
15.	डा०प्रेम कुमार प्रसाद	–	सदस्य
16.	डा० श्याम चन्द्र गुप्ता	–	सदस्य
17.	डा० जे० एन० मिश्र	–	सदस्य
18.	मो० अमानुल हक	–	आमंत्रित सदस्य
19.	श्री विनोद कुमार	–	आमंत्रित सदस्य
20.	कर्नल निशीथ कुमार राय	–	सचिव

कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक में पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी प्रस्तावों के निर्णय की अपेक्षा सदन से की। बैठक के प्रारंभ में श्री संजय सरावगी,डा० विनोद कुमार चौधरी एवं डा० बैद्यनाथ चौधरी ने नये कुलसचिव के, प्रथम बैठक में उपस्थित होने पर हर्ष व्यक्त किया। श्री संजय सरावगी ने कुलसचिव की नियुक्ति विश्वविद्यालय में किए जाने हेतु महामहिम कुलाधिपति महोदय को धन्यवाद ज्ञापित किया। तद्उपरान्त, माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की विधिवत कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। कार्यवाही के प्रारंम्भ में श्री संजय सरावगी ने भवन समिति की बैठक दिनांक 21.03.2018 की कायवृत्त दो दिनों के अन्दर सदस्यों को हस्तगत नहीं कराये जाने एवं बैठक में तीन माह के समय–अंतराल होने का कारण जानना चाहा, **जिसपर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा छात्र हित में परीक्षा सत्र नियमित किए जाने के कारण विलम्ब की बात कहते हुए आगामी बैठक ससमय किए जाने का आश्वासन दिया गया।** श्री सरावगी द्वारा गत बैठक दिनांक 15.04.2018 के कार्यवृत्त के मद सं० 14 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु उपलब्ध रिक्त पदों की कोटिवार कुल रिक्तियों की जानकारी अगले बैठक से पूर्व भेज दिये जाने पर सहमति बनी। उनके अगले प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय पुस्तकालय के स्वचालन (Automation) से

संबंधित मामले में श्री सरावगी से आपत्तियां प्राप्त होने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा यथोचित कारवाई की जाएगी। पुनः उनके प्रस्ताव कि **जेम पोर्टल से सभी क्रय के निर्णय के बाद भी (I) दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा फर्नीचर का क्रय दूसरे माध्यम से किया गया है, के संबंध में पूरी सूचना (II) विश्वविद्यालय द्वारा जेम पोर्टल के माध्यम से क्रीत सामग्रियों के अतिरिक्त क्रय की गयी सामग्रियों की सूची एवं (III) विश्वविद्यालय के अभियंत्रण शाखा के कार्य का विज्ञापन लीडिंग समाचार पत्रों में नही दिए जाने, से संबंधित सूचना सदन में देने के प्रश्न पर, निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त सभी सूचनाएँ अभिषद् की अगली बैठक से पूर्व भेज दिया जाएगा। (IV) स्कूल गुरू, मुम्बई के साथ हुए एकरारनामा के संबंध में श्री सरावगी ने अपनाए गये विधिक प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी चाही, जिसे अध्यक्ष महोदय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया साथ ही एकरारनामा की प्रति उपलब्ध कराये जाने पर सहमति बनी।** कुलसचिव ने राज्य सरकार के प्रतिनिधि सदस्यों से विश्वविद्यालय में एस0 एफ0 ए0 की नियुक्ति कराने में सहयोग का अनुरोध किया।

मद सं0 1. अभिषद् की गत बैठक दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत की संपुष्टि पर विचार।

निर्णयः **गत बैठक दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत के मद सं0 13 में लिये गये निर्णय को संशोधित करते हुए दिनांक 20.07.2009 को आयोजित विश्वविद्यालय चयन समिति की बैठक में अंग्रेजी विषय के कुल 22 शिक्षकों को प्रोन्नति की मामले के लिए चयन समिति पहले कराए जाने की सहमति बनी। तथा अन्यान्य मद सं0 7 में एस0 एम0 जे0 महाविद्यालय खाजेडीह, मधुबनी के दाता सदस्यों के मामले की जॉच हेतु एक त्रि–सदस्यीय समिति में नामित डा0 अजित कुमार चौधरी, माननीय अभिषद सदस्य–सदस्य के स्थान पर डा0 महेन्द्र प्रसाद सिंह, माननीय अभिषद सदस्य–सदस्य एवं डा0 अजय नाथ झा के स्थान पर डा0 अजित कुमार चौधरी–कुलानुशासक अंकित करने की संशोधन की सहमति बनी। उक्त संशोधनों के साथ गत बैठक दिनांक 19.06.2018 के कार्यवृत्त को संम्पुष्ट किया गया।**

मद सं0 2. अभिषद् की बैठक दिनांक 19.06.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अभिषद् की बैठक दिनांक 19.06.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन–प्रतिवेन पर सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया।** परिशिष्ट –(क) पृ0सं0–(11–15)

मद सं03. डॉ0 जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिग कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा में बी0एड0 तथा एम0एड0 कोर्स में एन0सी0टी0ई0 क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा सत्र् 2015–16 से क्रमशः 15 एवं 10 सीट की बढ़ोतरी के आधार पर अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2017 के मद सं0 16 में दी गयी स्वीकृति "Only for session 2017-19" को सुधार किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, अधिषद् की बैठक दिनांक 22.12.2017 के मद सं0 16 में दी गयी स्वीकृति "Only for session 2017-19" को सुधार कर डॉ0 जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिग कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा में बी0एड0 तथा एम0एड0 कोर्स में एन0सी0टी0ई0 क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर, उड़ीसा द्वारा सत्र् 2015–16 से क्रमशः 15 एवं 10 सीट की बढ़ोतरी "from session 2017-19" से की सहमति प्रदान करते हुए उक्त प्रस्ताव में किए गये संशोधन को विद्वत् परिषद् को सूचनार्थ एवं अधिषद् में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाने का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 4. To consider the recommendations of Selection Committee for promotion and shifting the date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Reader/ Associate Professor; and Reader/ Associate Professor to the rank of Professor in the subject of Economics and Maithili, respectively held on 16.07.2018 and 10.08.2018 under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme.

निर्णयः **The recommendations of Selection Committee for Promotion and shifting the date of promotion of teachers from the post of Lecturer/Assistant Professor (Senior Scale) to Reader/ Associate Professor; and Reader/ Associate Professor to the rank of Professor in the subject of Economics and Maithili under Career Advancement Scheme/ Time Bound Promotion Scheme respectively held on 16.07.2018 and 10.08.2018, is approved. परिशिष्ट –(ख) पृ0सं0–(16 –23)**

मद सं0 5. विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत चतुर्थ चरण के नवअंगीभूत महाविद्यालयों यथा एम0एल0एस0एम0 कॉलेज, दरभंगा एवं जे0एम0डी0पी0एल0 कॉलेज, मधुबनी के वैसे शिक्षक जिनका मामला एस0बी0 सिन्हा आयोग से आच्छादित नहीं है, के प्रोन्नति से संबंधित मामले को अभिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः **सर्वसम्मति से, विश्वविद्यालय सेवान्तर्गत चतुर्थ चरण के नवअंगीभूत महाविद्यालयों, यथा एम0एल0 एस0एम0 कॉलेज, दरभंगा एवं जे0एम0डी0पी0एल0 कॉलेज, मधुबनी के शिक्षकों के प्रोन्नति पर लगी रोक को हटाया जाता है।**

मद सं0 6. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में गृह विज्ञान विषय के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापन के घटनोत्तर अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों में गृह विज्ञान विषय के नवनियुक्त व्याख्याताओं की नियुक्ति एवं पदस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी। परिशिष्ट –(ग) पृ0सं0–(24 – 25)**

मद सं0 7. To consider the recommendation made in the meeting of the "Approval, Seniority and Pay Fixation Committee" held on 18.08.2018 at 12:30 P.M. for approval of the Syndicate.

निर्णयः **The recommendation made in the meeting of the "Approval, Seniority and Pay Fixation Committee" held on 18.08.2018, is approved. परिशिष्ट –(घ) पृ0सं0–(26–27)**

मद सं0 8. To consider the representations of Dr. Ganesh Mahto for allowing him for joining to the post of Associate Professor of Mathematics.

निर्णयः **The matter is deferred for the next meeting in which details be placed before the Syndicate for considearation.**

मद सं0 9. राज्य सरकार के पत्रांक– 14/पी0सी0–03/2011–991 दिनांक 11.08.2018 जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद–सृजन का दायित्व विश्वविद्यालयों को सौंपे जाने सम्बन्धी पत्र पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, राज्य सरकार के पत्रांक– 14/पी0सी0–03/2011–991 दिनांक 11.08.2018 जिसके अन्तर्गत राज्य के सभी सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालयों में शिक्षक–शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद–सृजन का दायित्व विश्वविद्यालयों को सौंपी गयी है, का संज्ञान लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि सम्बद्ध महाविद्यालयों में अनुशंसित पदों पर शासी निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों की चयन समिति की अनुशंसा को अधिसूचित करने के संबंध में दिनांक 11.09. 2018 को अभिषद् के स्थानीय सदस्यगण एवं पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक के निर्णय को अनुमोदित किया जाता है। परिशिष्ट –(ङ) पृ0सं0–(28–30)**

मद सं010. समादेश याचिका सं0– 20018/2013 (डा0 वीरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 के अनुपालनार्थ सम्बद्ध पक्षों को सुनकर माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेश अभिषद् के अवलोकनार्थ एवं विचारार्थ।

निर्णय: **विचारोपरान्त, समादेश याचिका सं0– 20018/2013 (डा0 वीरेन्द्र कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.05.2017 के अनुपालनार्थ सम्बद्ध पक्षों को सुनकर माननीय कुलपति महोदय द्वारा पारित आदेश के आलोक में भुगतान के पक्षों की जाँच हेतु दो–सदस्यीय जाँच समिति गठित कर जाँच किए जाने के उपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई का निर्णय लिया गया।**

मद सं0 11. अमृत योजनान्तर्गत दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता एवं अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में विचार।

निर्णय: **विचारोपरान्त, अमृत योजनान्तर्गत दरभंगा शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए होम गार्ड परिसर,दरभंगा में खेसरा सं0 4174,4175,4176,4181 एवं 4182 रकवा 11 कट्ठा 01 धुर 23 धुरकी में से मात्र 6650 वर्गफीट भूमि में जलमीनार एवं नलकूप लगाए जाने हेतु अनापत्ति दिए जाने की सहमति बनी। परिशिष्ट –(च) पृ0सं0–(31–32)**

मद सं0 12. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 83वीं सलाहकार समिति की पारित कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 83वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.07.2018 के पारित कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(छ) पृ0सं0–(33–35)**

मद सं0 13. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, के प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 16.08.2018 के कार्यवाही के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **विचारोपरान्त, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, के प्रबंधन समिति की बैठक दिनांक 16.08.2018 के कार्यवाही को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ज) पृ0सं0–(36–37)**

मद सं0 14. वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **विचारोपरान्त, वित्त समिति की बैठक दिनांक 21.08.2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(झ) पृ0सं0–(38–41)**

मद सं0 15. Regarding consideration of the revised Statute & Costume Design for Convocation Communicated vide Letter No. BSU(Statute) 47/2016-2233/G.S. (I) dated 27.02.2018 of Governor's Secretariat, Bihar, Raj Bhawan, Patna for kind information to the Hon'ble Members of Syndicate.

निर्णय: **The information of revised Statute & Costume Design for Convocation Communicated vide Letter No. BSU(Statute) 47/2016-2233/G.S. (I) dated 27.02.2018 of Governor's Secretariat, Bihar, Raj Bhawan, Patna,is accepted . परिशिष्ट –(ञ) पृ0सं0–(42–52)**

मद सं0 16. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.2018,14.07.2018,18.08.2018 एवं 04.09.2018 के कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णय: **विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 03.07.201814.07.2018,18.08.2018 एवं 04.09. 2018 के कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ट) पृ0सं0–(53–63)**

मद सं0 17. बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में विधि विषय के सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापना के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा अनुशंसित विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय में विधि विषय के सहायक प्राचार्य के पद पर नियुक्ति एवं पदस्थापना किए जाने का निर्णय लिया गया। दो अंशकालिक शिक्षकों के सेवा के संबंध में विधिक राय प्राप्त कर निर्णय लिये जाने की सहमति बनी।

मद सं0 18. श्री संजय सरावगी, माननीय विधायक (दरभंगा सदर) एवं अभिषद् सदस्य, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा का पत्र जो सम्बद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान के भुगतान से सम्बन्धित है, पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, सम्बद्ध महाविद्यालयों के राज्य सरकार से प्राप्त सहायक अनुदान के भुगतान से बचे संबंधित तीन महाविद्यालयों के जॉच प्रतिवेदन प्राप्त कर भुगतान के अग्रेतर कार्रवाई जल्द सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। एफ0 ओ0 को निदेशित किया गया कि एम0 जी0 कॉलेज दरभंगा को प्राप्त अनुदान की शेष राशि भेज दिया जाय।

मद सं0 19. <u>अतिरिक्त यदि कोई हो(अध्यक्ष की अनुमति से)</u>।

अ0म0सं0 1 महिला प्रौद्यौगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, महिला प्रौद्यौगिकी संस्थान, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्रबंध परिषद् की बैठक दिनांक 13.07.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। साथ ही अभियंत्रण विभाग में निर्माण से संबंधित विधिक प्रक्रिया के पालन संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। परिशिष्ट –(ठ) पृ0सं0–(64–69)

अ0म0सं0 2. To consider the representations of Sri Umesh Prasad Singh for allowing his continuance to the post of Assistant Professor of English at D.B. College, Jainagar, Madhubani.

निर्णयः The representation of Sri Umesh Prasad Singh for allowing him continuance to the post of Assistant Professor of English at D.B. College, Jainagar, Madhubani, is rejected.

अ0म0सं0 3. राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना से प्राप्त आदेश के आलोक में श्रीमती इन्दु कुमारी, ए0पी0एस0एम0 कॉलेज, बरौनी, बेगूसराय की भंडारपाल के पद पर सेवा सामायोजन के संबंध में विचारार्थ अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः विचारोपरान्त, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना से प्राप्त आदेश के आलोक में श्रीमती इन्दु कुमारी, ए0पी0एस0एम0 कॉलेज, बरौनी, बेगूसराय की भंडारपाल के पद पर सेवा सामायोजन को स्वीकृति प्रदान की गयी।

अ0म0सं0 4. विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर में संस्थापक एवं दाता राज परिवार के "राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह" की मूर्ति अनावरण हेतु अनुमति देने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि सैद्धांतिक रूप से महाविद्यालयों के जी0 बी0/विकास समिति एवं प्रधानाचार्य के अनुशंसाओं के उपरान्त ही किसी महाविद्यालय में संस्थापक दाता सदस्य की प्रतिमा की स्थापना किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण विश्वेश्वर सिंह जनता महाविद्यालय, राजनगर में संस्थापक एवं दाता राज परिवार के "राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह" की मूर्ति अनावरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अ0म0सं0 5. श्री अनिल मिर्जा, वार्ड – 01, लहेरियागंज, मधुबनी द्वारा दिनांक 10.09.2018 को प्रस्तुत आवेदन, जो आर0के0 कॉलेज, मधुबनी के प्रॉगण में बाबा साहेब भीम राव अम्बेदकर जी की प्रतिमा स्थापित करने हेतु अनुमति देने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि महाविद्यालयों के जी0 बी0/विकास समिति एवं प्रधानाचार्य के अनुशंसाओं के उपरान्त ही किसी महाविद्यालय में संस्थापक दाता सदस्य की प्रतिमा की स्थापना पर विचार किया जाएगा।

अ0म0सं0 6. प्रधानाचार्य, एम0आर0एम0 कॉलेज, दरभंगा ने विश्वविद्यालय में पत्र प्रेषित कर महाविद्यालय परिसर के भीतर अवस्थित पोखरा तथा विभिन्न क्वाटर्स का स्वामित्व अभी तक महाविद्यालय को प्राप्त नहीं होने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, महिला महाविद्यालय होने के कारण एम0आर0एम0 कॉलेज, दरभंगा को महाविद्यालय परिसर के भीतर अवस्थित पोखरा तथा विभिन्न क्वाटर्स का स्वामित्व दिए जाने की सहमति बनी। यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान में परिसर के भीतर अवस्थित विभिन्न क्वाटर्स में आवंटन के आधार पर रह रहे विश्वविद्यालय कर्मियों से उनके सेवा–निवृति अथवा अन्य आवास उपलब्ध नही करा दिए जाने तक यथा स्थिति बनी रहेगी। इसी प्रकार वर्तमान बंदोवस्ती की अवधि समाप्त होने तक पोखरे की यथास्थिति बनी रहेगी, जिसके बाद इसकी बंदोवस्ती महाविद्यालय द्वारा की जाएगी।

अ0म0सं0 7. ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दाता सदस्य बनने हेतु किये आवेदन पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दाता सदस्य बनने हेतु किये आवेदन में पुष्पा झा, राजोपट्टी, सीतामढ़ी, अवधेश कुमार झा, बहेड़ी, दरभंगा, उषा कुमारी झा बेनीपट्टी, मधुबनी, ज्योति कुमारी, पुरानी बसस्टेन्ड, दरभंगा एवं डा0 रेणु चौधरी,एम0 एल0 एस0 एम0 महाविद्यालय, दरभंगा की अधिषद् की सदस्यता से संबंधित विधिमान्य प्रक्रिया पूरी करते हुए अग्रेतर कार्रवाई किए जाने की सहमति बनी।

अ0म0सं0 8. N.K. Niranjan, Assistant Professor, Department of English एवं Binod Kumar, Assistant Professor, Department of Botany, Sant Kabir College, Samastipur द्वारा प्राप्त लिखित आवेदन तथा इस संदर्भ में महाविद्यालय निरीक्षक (कला एवं वाणिज्य) कार्यालय से प्राप्त अभिलेख अभिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः अतिरिक्त मद सं0 8 एवं अतिरिक्त मद सं0 15 के एक साथ विमर्श करते हुए मामले की जॉच के लिए तीन सदस्यीय जॉच समिति गठित करने हेतु माननीय कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

अ0म0सं0 9. श्री इफ्तेखार अहमद, उपाचार्य, स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की सेवा के सम्बन्ध में प्राप्त वैधानिक राय (Legal Opinion) पर विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, श्री इफ्तेखार अहमद, उपाचार्य, स्नातकोत्तर अंग्रेजी विभाग, ल0ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा की सेवा के सम्बन्ध में न्यायादेश का अनुपालन किया जाय।

अ0म0सं0 10. G.I.C. की राशि पर ब्याज की दर निर्धारित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः विचारोपरान्त, as per existing ruling on subject G.I.C. की राशि पर ब्याज दर 8% दिए जाने का निर्णय लिया गया।

अ0म0सं0 11. To consider to shift the date of absorption of teachers of M.L.S.M. College, Darbhanga, in view of order of Patna High Court in CWJC no. 3017/2006. परिशिष्ट –(ड) पृ0सं0–(70)

निर्णयः प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

अ0म0सं0 12. महंत राम जीवन दास महाविद्यालय, विष्णुपुर, बेगूसराय के शासी निकाय का दाता सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह को घोषित करने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, महंत राम जीवन दास महाविद्यालय, विष्णुपुर, बेगूसराय के शासी निकाय का दाता सदस्य श्री अशोक कुमार सिंह को घोषित किए जाने की सहमति प्रदान की गई।**

अ०म०सं० 13. दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 84वीं सलाहकार समिति की पारित कार्यवृत के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के सम्पन्न 84वीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 13.09.2018 के पारित कार्यवृत में किए जाने वाले कार्यों में राशि का समेकित व्यौरा अंकित नही होने तथा पूर्व के दर पर पूर्व के आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति नही करने का निर्देश दिया गया। उपरोक्त संशोधन के साथ कार्यवृत को अनुमोदित किया गया। परिशिष्ट –(ढ़) पृ०सं०–(71–73)**

अ०म०सं० 14. जयानन्द महाविद्यालय, नेहरा, दरभंगा में प्रदाता प्रवर स्व० जयानन्द चौधरी की पावन प्रतिमा प्रतिस्थापन के संबंध अनुमति देने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, निर्णय लिया गया कि सैद्धांतिक रूप से से महाविद्यालयों के जी० बी०/विकास समिति एवं प्रधानाचार्य के अनुशंसाओं के उपरान्त ही किसी महाविद्यालय में संस्थापक दाता सदस्य की प्रतिमा की स्थापना किया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उपरोक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्य से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण जयानन्द महाविद्यालय, नेहरा, दरभंगा में महाविद्यालय के संस्थापक एवं दाता स्व० जयानन्द चौधरी की पावन प्रतिमा स्थापित करने की सहमति प्रदान की जाती है।**

अ०म०सं० 15. विजय कुमार राय, संघर्ष समिति, अध्यक्ष, संत कबीर डिग्री महाविद्यालय बचाओ, संघर्ष समिति, समस्तीपुर द्वारा प्राप्त आवेदन संत कबीर महाविद्यालय, समस्तीपुर के प्रयोगशाला प्रभारी विनोद कुमार एवं फर्जीवार नियुक्ति योगदानधारी नवीन कुमार 'निरंजन' को शिक्षक कोटि में कराई गई चयन प्रक्रिया को निरस्त करने के संबंध में अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

निर्णयः **इस प्रस्ताव पर अतिरिक्त मद सं० 8 में निर्णय लिया जा चुका है।**

अन्यान्य 1. कुलानुशासक के प्रस्ताव कि 31 अक्टुबर से आयोजित 5–दिवसीय अंतर राजकीय विश्वविद्यालय सांस्कृतिक महोत्सव **"तरंग, 2018–19"** में मुख्य अतिथि, महामहिम कुलाधिपति महोदय, विशिष्ट अतिथि, ए० आई० यू० के संयुक्त सचिव एवं माननीय युवा,कला संस्कृति एवं खेल मंत्री, बिहार सरकार रहेंगे तथा इस आयोजन से संबंधित आय–व्याय की सूचना पर विचार किया जाय।

निर्णयः **सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अभिगृहित किया गया।**

अन्यान्य 2. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, कि डा० दिनेश प्रसाद शाह जो चन्द्रधारी मिथिला विज्ञान महाविद्यालय,दरभंगा के हिन्दी विभाग में प्रतिनियोजन पर कार्यरत हैं, को उक्त महाविद्यालय के रिक्त स्थान पर समायोजन के लिए अभिषद् के पूर्व के निर्णय का अनुपालन किया जाय, पर विचार।

निर्णयः **मामला प्रक्रियाधीन है। स्थानान्तरण समिति में मामला को रखे जाने के उपरान्त स्थानान्तरण किए जाने का आश्वासन अध्यक्ष द्वारा दिया गया।**

अन्यान्य 3. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव कि दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के तीन कर्मियों, जिनकी नियुक्ति विज्ञापन सं० 01/2008 से विधिवत अंतर्वीक्षोपरान्त नियमानुकूल चयन समिति की अनुशंसा पर की गई है, यथा– **(I) श्री कुमार सुरेन्द्र,कम्प्यूटर ऑपरेटर , (II) श्री कमल कुमार राय,लेखापाल एवं (III) श्री संतोष कुमार झा, पुस्तकाध्यक्ष** के अतिरिक्त उसी विज्ञापन से नियुक्त अन्य कर्मियों की नियुक्ति करते हुए मई 2011 से सेवा नियमितीकरण का लाभ दिया जा जुका है। समानता के आधार पर उक्त लाभ को उक्त तीन कर्मियों को दिए जाने से संबंधित बनी जॉच समिति की अनुशंसा, सलाहकार समिति, वित्त समिति,

अभिषद् एवं अधिषद् के द्वारा अनुमोदित निर्णय कि "मई 2011 से नियमित सेवा/हित लाभ तीन कर्मियों, श्री कुमार सुरेन्द्र,कम्प्यूटर ऑपरेटर ,श्री कमल कुमार राय,लेखापाल एवं श्री संतोष कुमार झा, पुस्तकाध्यक्ष को अधिसूचित कर दिया जाय" पर निर्णय होने के उपरान्त भी भुगतान नही होने, के मामले को तत्काल निष्पादित करने पर विचार।

निर्णयः **मामले की अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराया गया। विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तीनों कर्मचारियों के पक्षों की सुनवाई उनके पक्ष मे उपलब्ध कागजातों के आधार पर कुलसचिव एवं कुलपति महोदय द्वारा किया जायेगा।**

अन्यान्य 4. डा0 बैद्यनाथ चौधरी के प्रस्ताव कि डा0 कन्हैया चौधरी, शिक्षक, एम0 आर0 एम0 महाविद्यालय,दरभंगा के वेतन भुगतान के मामले में अभिषद् के विगत बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में गठित जाँच समिति के प्रतिवेदन पर निर्णय लिया जाय; पर विचार किया गया।

निर्णयः **एम0 आर0 एम0 महाविद्यालय,दरभंगा में कार्यरत शिक्षक, डा0 कन्हैया चौधरी, के मामले में प्रस्तुत जॉच समिति के प्रतिवेदन के अनुशंसाओं पर विचार किया गया तथा तत्काल गेस्ट शिक्षक के अनुरूप 25000/– रूपया प्रतिमाह भुगतान किए जाने की सहमति बनी।**

अन्यान्य 5. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, के0 एस0 महाविद्यालय के कैंपस से सटे मुख्य सड़क के किनारे 2.5 फीट ढ़की नाला निर्माण से छात्र एवं घनी आवादी की समस्या निदान किये जाने पर विचार।

निर्णयः **विचारोपरान्त, प्रधानाचार्य से विधिवत प्रस्ताव प्राप्त होने के उपरान्त कार्रवाई किए जाने पर सहमति बनी। कुलसचिव ने विश्वविद्यालय के सभी नालों की सफाई नगर निगम द्वारा कराये जाने में जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपेक्षा की।**

अन्यान्य 6. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव, बी0 ए0 पार्ट 2 के परीक्षा परिणाम के विरुद्ध छात्रों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर मूल्यांकन–कार्य जल्द संपादित कर परिणाम प्रकाशन के अनुरोध पर,विचार।

निर्णयः **परिणाम जल्द घोषित किए जाने की सहमति बनी।**

अन्यान्य 7. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव कि अनुकम्पा समिति की बैठक ससमय नहीं किए जाने के कारण वर्तमान रोस्टर क्लियरेन्स में अनुकम्पा की रिक्ति अंश से होने वाले अंतर की गणना कर सदन को आगामी बैठक में रखा जाय,पर विचार किया गया।

निर्णयः **निर्णय लिया गया कि अनुकम्पा हेतु प्राप्त आवेदनों को वर्षवार (मृत्यु–वर्ष) के आधार पर पदों की गणना कर निर्धारित प्रतिशत निकाला जाएगा तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।**

अन्यान्य 8. श्रीमती इस्मत जहॉ के प्रस्ताव कि पी0 आर0 टी0 परीक्षा–2011 के आधार पर शिक्षाशास्त्र संकाय में जावेद अख्तर के पी0 एच0डी0 उपाधि हेतु शोध–कार्य के लिए अस्वीकृत शोध प्रारूप के स्थान पर दूसरा शोध प्रारूप प्रस्तुत करने हेतु अनुमति दिए जाने पर विचार।

निर्णयः **इसके कारणों को देखकर विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लिया जाएगा।**

अन्यान्य 9. कुलानुशासक के प्रस्ताव, दीक्षांत समारोह फरवरी–मार्च–2019 में आयोजित करने पर विचार।

निर्णयः **सर्वसम्मति से प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**

अन्यान्य 10. श्री संजय सरावगी के प्रस्ताव कि मारवारी महाविद्यालय के प्रभारी प्रधान सहायक श्री युगेश्वर जिनपर गंभीर सी0सी0 टीवी फुटेज के आधार पर कॉलेज से अभिलेख चोरी करने एवं अन्य मामलों में फर्जीवारा करने के आरोप है, तथा एफ0आई0 आर0 दर्ज है, को

निलम्बन मुक्त करते हुए एम0 आर0 एम0 कॉलेज में पदस्थापित कर दिया, तो किस आधार पर उन्हें उनके पैत्रिक महाविद्यालय में स्थानान्तरण कर दिया गया है,पर विचार।

निर्णयः **अध्यक्ष द्वारा मामले को देखे जाने की सहमति बनी।**

बैठक के अंत में कुलसचिव द्वारा बैठक के संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करने हेतु सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तत्पष्चात् माननीय अध्यक्ष–सह–कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गयी।

(निशीथ कुमार राय)
कुलसचिव–सह–सचिव

(सुरेन्द्र कुमार सिंह)
कुलपति–सह–अध्यक्ष

ज्ञापांक : UB-456/18

दिनांक : 20-9-2018

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. **अभिषद् के सभी माननीय सदस्य**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. **सचिव, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।**
3. **निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।**
4. **उप–सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।**
5. **नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट)**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. **सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति–कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक**, ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

20/9/18

कुलसचिव

६२।२९ 20/9/18